बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 319404 दिनांक :- 28/07/17

ग्रा0वि0-3/स्था0-9-08/16

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
मधेपुरा ।

विषय:- **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में मधेपुरा जिलान्तर्गत बिहारीगंज प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण हेतु 4.95 एकड़ रैयती भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत अर्जन करने के लिए कुल 11,88,00,000/- (ग्यारह करोड़ अठ्ठासी लाख) रूपये मात्र का आवंटन।**

प्रसंग:- **विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 317649 दिनांक-17.07.17**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-317649 दिनांक-17.07.17 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में मधेपुरा जिलान्तर्गत बिहारीगंज प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण हेतु मौजा-बिहारीगंज, थाना नं0-231 अन्तर्गत 4.95 एकड़ रैयती भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत अर्जन करने के लिए कुल 11,88,00,000/- (ग्यारह करोड़ अठ्ठासी लाख) रूपये मात्र की लागत पर अर्जन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में स्वीकृत राशि के विरूद्ध 11,88,00,000/- (ग्यारह करोड़ अठ्ठासी लाख) रूपये मात्र आंवटित की जाती है।

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-103- ग्राम विकास उप शीर्ष-0102-प्रखंड लघु निर्माण कार्य मांग सं0-42 विपत्र कोड- पी0-4515001030102 राज्य योजना स्कीम कोड- RUR 5380 विषय शीर्ष 53 02 भू-अर्जन मद से विकलनीय है ।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समाहर्त्ता, मधेपुरा होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, मधेपुरा से वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य कर ली जायेगी ।

4. आंवटित राशि की निकासी, जमा एवं व्यय में वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 7857 दिनांक 31.07.13 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/निदेशों का अनुपालन किया जायेगा । साथ ही वित्त विभाग के परिपत्र सं0-

3687 दिनांक 30.03.12 एवं पत्रांक 5542 दिनांक 23.05.12 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-317649 दिनांक-17.07.17 में निहित निर्देशों के आलोक में किया जायेगा ।

6. इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दे दी गयी है ।

7. आवंटित राशि कोषागार से निकासी कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,

26/7/2017

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सचिव

ज्ञापांक:- 319404 दिनांक:- 28/07/17

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/7/2017

सचिव

ज्ञापांक:- 319404 दिनांक:- 28/07/17

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/7/2017

सचिव

ज्ञापांक:- 319404 दिनांक:- 28/07/17

प्रतिलिपि- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/ जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज, मधेपुरा/ अंचल अधिकारी, बिहारीगंज, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/7/2017

सचिव

ज्ञापांक:- 319404 दिनांक:- 28/07/17

प्रतिलिपि- बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/ प्रभारी सांख्यिकी कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग/ श्री सुनिल कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/7/2017

सचिव